कार्यालय वेतन विसंगति निवारण समिति
"सी" ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ
जयपुर

क्रमांक प.14(4)वित्त/नियम 2017 जयपुर, दिनांक 21 DEC 2017

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 को जारी कर दिनांक 01.10.2017 से प्रभावशील किये गये थे। उक्त वेतन पुनरीक्षण के प्रभावी होने के उपरान्त प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापनों का परीक्षण किये जाने हेतु श्री डी.सी.सामन्त, सेवानिवृत, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया।

समिति ने प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से वेतनमान विसंगति के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 29.12.2017 निर्धारित की थी, जो दिनांक 23.11.2017 को प्रकाशित की गई।

वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2017 को संशोधित कर उक्त वेतनमान नियमों को दिनांक 01.10.2017 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील किये जाने के आदेश दिनांक 09.12.2017 को जारी कर दिये गये हैं।

इस संशोधन को ध्यान में रखते हुये वेतन विसंगति निवारण समिति को वेतन विसंगति से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2018 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सदस्य सचिव
वेतन विसंगति निवारण समिति

समिति कार्यालय
दूरभाष नं. 0141–2742773